केवल कार्यालय उपयोग हेतु
For Official Use Only

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

फाटकवाले के कर्तव्य

कैमटेक/2022/सि/फाटकवाला/1.0

नवंबर – 2022



Excellence In Maintenance

भारतीय रेल उच्च अनुरक्षण प्रौद्योगिकी केंद्र, महाराजपुर, ग्वालियर - 474005

Indian Railways Centre for Advanced Maintenance Technology Maharajpur, Gwalior - 474005

Blank Page

फाटकवाले के कर्तव्य

Blank Page

प्राक्कथन

भारतीय रेलवे के अधिकांश मार्ग काफी व्यस्त हैं और दूसरी तरफ समपार पर सड़क यातायात भी लगातार बढ़ रहा है। फाटकवाले को कार्य नियमों का पालन करते हुए रेलगाड़ियों के गुजरने के अंतराल में सड़क यातायात को सुरक्षित रूप से पार कराना होता है। समपार पर संरक्षा फाटकवाले के कामकाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।

यह पुस्तिका प्रचलित सुरक्षा नियमों, विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग समपारों के लिए कार्य निर्देशों और भारतीय रेलवे पर फाटकवाले के कर्तव्यों के ज्ञान का प्रसार करने के लिए कैमटेक द्वारा तैयार की गई है।

मुझे आशा है कि यह पुस्तिका रेलवे में उपरोक्त कार्य में शामिल सिविल इंजीनियरिंग कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण सहायक होगी।

कैमटेक/ग्वालियर **जितेंद्र सिंह**

दिनाँक: 30.11.2022 **प्रधान कार्यकारी निदेशक**

प्रस्तावना

समपार पर संरक्षा की दृष्टि से फाटकवाले का कार्य बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। फाटकवाले के ज्ञान उन्नयन के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न मंचो पर उपलब्ध सूचनाओं को संयोजित कर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाए।

इस पुस्तिका को तैयार करते समय विभिन्न कोड, मैनुअल आदि और रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देशों में उपलब्ध लगभग सभी प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।

यह पुस्तिका भारतीय रेलवे में इंजीनियरिंग फाटक पर ड्यूटी पर तैनात फाटकवालों को उनके कर्तव्यों के लिए निर्देश देने और अभ्यास कराने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह पुस्तिका रेलवे बोर्ड, आरडीएसओ और जोनल रेलवे के किसी भी मौजूदा निर्देश और आईआरपीडब्ल्यूएम के प्रावधानों का अधिक्रमण नहीं करती है। अधिक गहन जानकारी के लिए संबंधित मैनुअल और इस विषय पर निर्देशों को संदर्भित किया जा सकता है।

चूंकि यह पुस्तिका संकलित रूप में फाटकवाले के कर्तव्य के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी तक सीधी पहुंच प्रदान करती है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि यह इंजीनियरिंग फाटक पर फाटकवाले के रूप में लगे कर्मियों के लिए अत्यधिक उपयोगी होगी और इस प्रकार उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्रदर्शन करने में मदद करेगी। मैं श्री एस.एस. पाठक, एसएसई (पी.वे), कैमटेक द्वारा दी गई सहायता के लिए आभारी हूं, जो डेटा एकत्र करने, डेटा प्रविष्टि, संपूर्ण पाठ/ग्राफिक्स, पाठ संपादन कार्य आदि में शामिल रहे। हम अधिक सुधार के लिए पाठकों के किसी भी सुझाव का स्वागत करते हैं।

कैमटेक/ग्वालियर **दीपक मेहरा**

दिनांक: 30.11.2022 **संयुक्त निदेशक/सिविल**

<u>सुधार पर्ची जारी करना</u>

इस पुस्तिका के लिए भविष्य में जारी की जाने वाली सुधार पर्चियों को निम्नानुसार क्रमांकित किया जाएगा:

कैमटेक/2022/सि/फाटकवाला/1.0/सीएस। # XX तारीख

जहां **"XX"** संबंधित सुधार पर्ची की क्रम संख्या है (**01** से प्रारम्भ होकर)

सुधार पर्चीयाँ जारी की गयीं

सु. पर्ची की क्रम संख्या	जारी करने की तिथि	पृष्ठ सं. और संशोधित मद संख्या	टिप्पणियां

विषय-सूची

क्रम संख्या	विवरण	पेज संख्या
	प्राक्कथन	*i*
	प्रस्तावना	*ii*
	सुधार पर्ची	*iii*
	विषय-सूची	*iv-v*
1	सामान्य	1
2	नियमों और सिगनलों का ज्ञान	1
2.1	हाथ सिगनल नियम	1
2.1.1	हाथ सिगनलों का ज्ञान और अधिकार	1
2.1.2	हाथ सिगनलों को दिखाना	2
2.1.3	रोक हाथ सिगनल	2
2.1.4	आगे बढ़ने के लिए हाथ सिगनल	3
2.1.5	सावधानी से आगे बढ़ने के लिए हाथ सिगनल	4
2.2	पटाखे सिगनल नियम	5
2.2.1	विस्फोट करने वाले सिगनलों का विवरण	5
2.2.2	पटाखों का संग्रहण	6
2.2.3	पटाखों का उपयोग	7
3	संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य	8
4	समपारों पर उपकरण	10

5	फाटकवाले के कर्तव्य	17
6	इंजीनियरिंग समपार फाटक के लिए कार्य निर्देश	25
6.1	संचालन का तरीका	25
6.2	विभिन्न प्रकार के समपारों के लिए विशेष निर्देश	26
6.2.1	फाटक सिगनल के साथ अंतर्पाशित किया गया, टेलीफोन प्रदान किया गया, सामान्य स्थिति 'सड़क यातायात के लिए खुला'	26
6.2.2	गैर-अंतर्पाशित, टेलीफोन प्रदान किया गया, सामान्य स्थिति "सड़क यातायात के लिए खुला"	39
6.2.3	गैर-अंतर्पाशित, टेलीफोन प्रदान किया गया, सामान्य स्थिति "सड़क यातायात के लिए बंद"	48
6.2.4	गैर-अंतर्पाशित, टेलीफोन नहीं प्रदान किया गया, सामान्य स्थिति "सड़क यातायात के लिए बंद"	56
	संदर्भ	63
	टिप्पणियाँ	64

1 सामान्य

"फाटकवाले" का अर्थ है, एक सक्षम रेल सेवक जो फाटकों के संचालन के लिए समपार पर तैनात है।

प्रत्येक फाटकवाले को हाथ सिगनल, पटाखों के उपयोग और सुरक्षा नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए।

प्रत्येक रेल सेवक के लिए सामान्य आवश्यकता

2 नियमों और सिगनलों का ज्ञान

प्रत्येक फाटकवाले को निम्नलिखित नियमों का सही ज्ञान होना चाहिए

2.1 हाथ सिगनल नियम

2.1.1 हाथ सिगनलों का ज्ञान और अधिकार

(ए) ट्रेनों की आवाजाही, शंटिंग संचालन, अधिष्ठापन के रखरखाव और ट्रेनों की संरक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के कार्यों से जुड़े प्रत्येक रेल कर्मचारी को निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना होगी:-

i. हाथ सिगनलों का सही ज्ञान; तथा ड्यूटी के दौरान अपने साथ अपेक्षित हाथ सिगनल रखें और उन्हें अच्छे हालत में और तत्काल उपयोग के लिए तैयार रखें।

(बी) एक लाल झंडी और एक हरी झंडी दिन में या बत्ती जो रात में लाल, हरी और सफेद रोशनी दिखाने में सक्षम है, हाथ से सिगनल देने के लिए आवश्यक उपकरणों का गठन करता है।

2.1.2 हाथ सिगनलों को दिखाना

(ए) हाथ के सभी सिगनलों को दिन में झंडी दिखाकर और रात में इन नियमों के अनुसार रोशनी दिखाकर प्रदर्शित किया जाता है।

(बी) दिन के दौरान एक झंडी या झंडियों को सामान्य रूप से हाथ के सिगनलों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

(सी) रात के दौरान सामान्य रूप से एक लाल या हरी बत्ती दिखाकर एक हाथ का सिगनल दिया जाएगा। तेज़ी से लहराई गई सफेद रोशनी को रोक सिगनल के रूप में तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब लाल बत्ती उपलब्ध न हो।

(डी) लाल या हरी बत्ती या तो स्थिर या चमकती प्रकार की होगी।

2.1.3 रोक हाथ सिगनल

(ए) **संकेत: पूरी तरह से रुकना**

(बी) **दिन के समय कैसे दिया जाता है:**

लाल झंडी दिखाकर, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है;



(सी) **रात के समय कैसे दिया जाता है:**

लाल बत्ती दिखाकर या सिगनल दिखाने वाले व्यक्ति के शरीर पर क्षैतिज रूप से सफेद बत्ती तेज़ी से लहराते हुए, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है;





2.1.4 आगे बढ़ने के लिए हाथ सिगनल

(ए) **संकेत: आगे बढ़ो**

(बी) **दिन के समय कैसे दिया जाता है:**

हरी झंडी को पकड़कर जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है;



(सी) **रात के समय कैसे दिया जाता है:**

एक हरी बत्ती को स्थिर रूप से पकड़ कर, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है;



2.1.5 सावधानी से आगे बढ़ने के लिए हाथ सिगनल

(ए) **संकेत:** यदि सिगनल उत्तरोत्तर धीमी गति से दिया जाता है तो गति को धीरे-धीरे कम करते हुए आगे बढ़ें।

(बी) **दिन के समय कैसे दिया जाता है:**

हरे रंग की झंडी लंबवत ऊपर और नीचे लहराते हुए जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है;



(सी) **रात के समय कैसे दिया जाता है:**

हरे रंग की बत्ती को लंबवत ऊपर और नीचे लहराते हुए जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है;



2.2 पटाखे सिगनल नियम

2.2.1 विस्फोट करने वाले सिगनलों का विवरण

पटाखा सिगनल, वह उपकरण है जो रेल पर फिक्स किए जाते हैं और जब एक इंजन, एक वाहन उनके

ऊपर से गुजरता है, तो वे एक जोरदार विस्फोट के साथ फट जाते हैं ताकि लोको पायलट का ध्यान आकर्षित किया जा सके।

2.2.2 पटाखों का संग्रहण

i. पटाखों को सावधानी से संभालना चाहिए क्योंकि वे बेढंगे तौर पर संभाले जाने पर विस्फोट के लिए उत्तरदायी होते हैं।

ii. पटाखों को विशेष रूप से आपूर्ति किए गए टिन के डिब्बे में रखा जाएगा और उन्हें सूखे स्थान पर रखा जाएगा और उन्हें ईंट की दीवारों, नम लकड़ी, चूने के क्लोराइड या अन्य कीटाणुनाशक के संपर्क में नहीं छोड़ा जाएगा, न ही नमी या भाप या अन्य वाष्प के संपर्क में लाया जाएगा।

iii. निर्माण का महीना और वर्ष प्रत्येक डिब्बे के बाहर लेबल पर दिखाया गया होता है और प्रत्येक पटाखे पर भी मुहर लगी है, उन पर मुहर लगी तारीखों के क्रम में उपयोग किया जाना चाहिए, सबसे पुरानी तारीख हमेशा पहले इस्तेमाल की जानी चाहिए। इस क्रम में निकासी की सुविधा के लिए, उन्हें उसी के अनुसार तैयार करके रखा जाना चाहिए।

2.2.3 पटाखों का उपयोग

(ए) पटाखों को रखने वाले कर्मचारी उनका कोई अनुचित उपयोग नहीं करेंगे।

(बी) **पटाखों का जीवन**

पटाखे का सामान्य जीवन पांच साल का होता है।

(सी) **पटाखे को उपयोग करने की विधि**

i. आवश्यक होने पर एक पटाखे को उपयोग करने के लिए लेबल या ब्रांड को ऊपर की ओर करके रेल पर रखा जाना चाहिए और पत्तियों (क्लैंप) को रेल के सिर के चारों ओर झुकाकर रेल पर लगाया जाएगा।

ii. रेल जॉइंट और स्लीपर स्पेस पर पटाखे नहीं लगाना चाहिए, बल्कि रेल पर वहाँ रखना चाहिए जहां नीचे स्लीपर हो।



(डी) **अवरोध की स्थिति में पटाखे लगाना**

i. जब कभी किसी लाइन के अवरोध के परिणामस्वरूप रेल सेवक को आने वाली ट्रेनों को रोकना आवश्यक हो, तो वह अपने रोक हाथ सिगनल को स्पष्ट रूप से दिखाते हुए, बाधा से 600 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ेगा और लाइन पर एक पटाखा रखेगा और फिर बाधा से 1200 मीटर की दूरी पर लाइन पर आगे बढ़ें और लाइन पर एक दूसरे से लगभग 10 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे लगाए।

ii. यदि उक्त रेल सेवक को बाधा हटाने से पहले वापस बुला लिया जाता है, तो वह तीन पटाखे छोड़ देगा और वापस जाते समय मध्यवर्ती पटाखे उठाएगा।

(ई) **पटाखों से निरापद दूरी**

जब एक रेल सेवक ने एक या एक से अधिक पटाखों को लाइन पर रखा है तो इससे पहले कि एक समीप आने वाले इंजन या रेलगाड़ी द्वारा विस्फोट हो उसे पटाखे या पटाखों से 45 मीटर की सुरक्षा दूरी से दूर अवश्य हट जाना चाहिए।

3 संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य

3.1 प्रत्येक रेल सेवक यह सुनिश्चित करेगा कि

3.1.1 जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए।

3.1.2 उसके संज्ञान में आने वाली किसी भी घटना जो रेलवे के सुरक्षित या उचित कामकाज को प्रभावित करे उसके बारे में तुरंत अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करें, और

3.1.3 मांग पर दुर्घटना या रुकावट के मामले में हर संभव सहायता प्रदान करना।

3.2 प्रत्येक रेल सेवक, यदि देखता है कि

3.2.1 किसी भी तरह की बाधा, रास्ते या कार्य के किसी भी हिस्से की विफलता या विफलता का खतरा है,

3.2.2 रेलगाड़ी के साथ कुछ भी गलत, या रेलगाड़ी के सुरक्षित चलने, या जनता की सुरक्षा में किसी भी तरह की असामान्य परिस्थितियों के हस्तक्षेप की संभावना है,

3.2.3 दुर्घटना की रोकथाम के लिए, मामले की परिस्थितियों की मांग के अनुरूप जहां आवश्यक हो, तत्काल कदम उठायेगा और, निकटतम स्टेशन मास्टर को त्वरित संभव साधन से सूचित करेगा।

3.3 तोड़फोड़ की आशंका होने पर की जाने वाली कार्यवाही

जैसे ही वह समपार, पुलों या अन्य स्थायी संपत्ति की किसी भी तोड़फोड़ या संभावित तोड़फोड़, बम विस्फोट धमाका इत्यादि का संज्ञान करता है, तुरंत वह समपार की रक्षा करेगा और निकटतम स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा।

लेवल क्रॉसिंग के लिए विशिष्ट आवश्यकता

4 समपारों पर उपकरण

4.1 समपार के लिए उपकरण इस प्रकार होंगे (ये उनके अलावा हैं जो विशेष निर्देशों द्वारा नियत किए जा सकते हैं):-

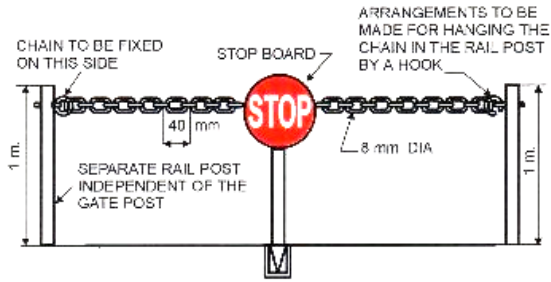
(1) दो रिचार्जेबल एलईडी लैंप वाला हाथ सिगनल जिसमें तीन रंगो की लाइट हो/ मिट्टी का तेल (केरोसिन ऑइल) वाला हाथ सिगनल लैंप जिसमे तीन रंगो वाले चमकीले परावर्तक लगे हों।

(2) 1 हाथ सिगनल झंडी- हरी

(3) 2 हाथ सिगनल झंडी- लाल

(4) लालबत्ती या लाल झंडी के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त 1 डंडा

(5) फाटक/ बैरियर क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उपयोग के लिए फाटक की पूरी चौड़ाई को बंद करने के लिए दो लंबी अतिरिक्त जंजीरें जिसके मध्य में "रुकिये" अंकित डिस्क लगाने की व्यवस्थता हो।



(6) फाटकों की ताला युक्ति व्यवस्था खराब होने की स्थिति में, फाटकों पर ताला बंद करने के लिए 2 अतिरिक्त छोटी जंजीरें और ताले।



(7) टिन के डिब्बे में 10 पटाखे।

(8) झंडियों के लिए 1 टिन का डिब्बा।

(9) 2 जाम झंडा (बैनर फ्लैग)।

(10) मस्टर शीट के लिए 1 कनस्तर (केवल इंजीनियरिंग फाटक के लिए)।

(11) 1 केन तेल के लिए (केवल उन फाटकों पर जहां मिट्टी के तेल के हाथबत्ती अभी भी उपयोग में हैं)

(12) 1 कटौनी (टॉमी बार)

(13) 1 पानी का बर्तन या बाल्टी

(14) 1 तगाड़ी (मोर्टार पैन)

(15) 1 फावड़ा

(16) 1 दुरमुट

(17) 1 पिक-कुल्हाड़ी

(18) 1 औजार सूची (औजारों की जाँच के लिए तैयार किए गए कॉलम के साथ)

(19) क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी में सुरक्षा नियमों की 1 पुस्तक (यह पहले से ही फाटक वर्किंग निर्देशों का हिस्सा है)

(20) कर्तव्य तालिका

(21) सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए शिकायत पुस्तिका

(22) निरीक्षण रजिस्टर

(23) संरक्षा नियमों से युक्त समपार संचालन अनुदेश

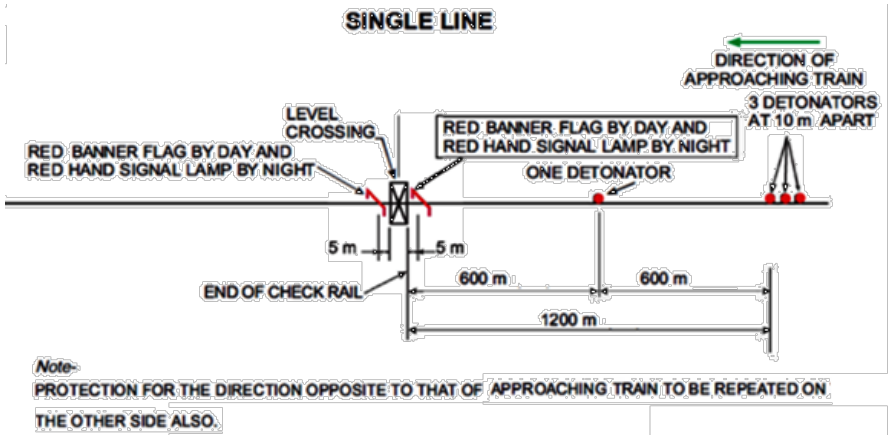
(24) दो फाटक लैंप (इलेक्ट्रिक/ केरोसिन प्रकार)

(25) डबल लाइन/मल्टीपल लाइन, घाट सेक्शन, उपनगरीय और स्वचालित ब्लॉक क्षेत्रों में काम करने वाले फाटकवाले को तीन चेतावनी सिगनल प्रदान किए जाएंगे। सिंगल लाइन सेक्शन पर काम करने वाले फाटकवाले को दो चेतावनी सिगनल दिए जाएंगे। जिन फाटकों पर लाल बत्ती के रिचार्जेबल लैंप प्रदान किए गए हैं वह उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करेंगे।

(जी एंड एसआर के पैरा 3.65 के अनुसार बाधा की ओर आने वाली रेलगाड़ी को चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिगनल रात में लाल चमकती हाथ सिगनल बत्ती या दिन के दौरान लाल झंडी होना चाहिए।)

(26) समपार में बाधा के मामले में अपनाई जाने वाली

सुरक्षा की प्रणाली को दर्शाने वाला रेखा-चित्र।



(27) दीवार घड़ी ताकि फाटकवाला निजी संख्या के आदान-प्रदान का समय, रेलगाड़ी का अपेक्षित और वास्तविक गमन का समय, समपार के खुलने और बंद होने का समय आदि को सही ढंग से रिकॉर्ड कर सके।

(28) गर्जन करने वाली सीटी (व्हिसल थंडर) - 1 नग

नोट - विभिन्न लाइनों पर समपार के मामले में हाथ सिगनल झंडी/बत्ती, पटाखे और बैनर फ्लैग उपयुक्त रूप से बढ़ाए जाएंगे।

4.2 वास्तिविक निजी अंक पुस्तिका के स्थान पर स्वचालित निजी संख्या उत्पन्न करने वाला उपकरण(ऑटोमैटिक प्राइवेट संख्या जनरेटिंग डिवाइस) प्रदान करना बेहतर

होता है, जो फाटकों को बंद करने के बाद ही निजी संख्या उत्पन्न (प्राइवेट संख्या जेनरेट) करता है और इस तरह सुरक्षा बढ़ाता है।

4.3 जिन फाटक गुमटी (गेट-लॉज) पर हाथ सिगनल बत्ती/ फाटक बत्ती प्रदान की गयी हैं उनमें मिट्टी का तेल, बाती और माचिस पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। फाटकवाले को हमेशा अपने हाथ सिगनल बत्ती को ट्रिम और जलाने के लिए तैयार करके रखना चाहिए और एक पल की सूचना पर तुरंत उपयोग करना चाहिए। रात के दौरान, हाथ सिगनल बत्तियों में से एक हाथबत्ती को पूरी तरह से जलाकर रखना चाहिए ताकि आने वाली रेलगाड़ी को खतरा रोक सिगनल दे सकें।

4.4 प्रत्येक समपार पर अवरोध की स्थिति में फाटकवाले को पटाखे लगाने में मार्गदर्शन के लिए ब्रॉड गेज पर दोनों ओर 600 मीटर और 1200 मीटर पर स्पष्ट संकेत होना चाहिए। डेटोनेटरों की संख्या को इंगित करने के लिए प्रस्तावित दूरियों पर एक डॉट और तीन डॉट्स के साथ संकेतक पोस्ट लगाये जाने चाहिए। प्रत्येक समपार पर आपातस्थित के दौरान 5 मीटर की दूरी पर खतरे के सिगनल को प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

4.5 विद्युतीकृत अनुभागों पर ऊँचाई गेज

4.5.1 प्रत्येक समपार पर ओवरहेड उपकरण या अन्य उपकरण के दोनों ओर मानक ऊंचाई गेज लगाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊंचाई गेज के नीचे से गुजरने वाले सभी वाहन और चल संरचनाएं ओवरहेड उपकरण या अन्य उपकरण के नीचे से भी पर्याप्त अंतराल रखते हुए निकल सकें।

4.5.2 वाहन और चलती संरचनाएं, जो ऊंचाई गेज को आघात या स्पर्श किये बिना ऊंचाई गेज के नीचे से नहीं गुजर सकते, उन्हें ओवरहेड उपकरण या अन्य उपकरण से गुजरने की अनुमति विशेष निर्देशों के अलावा नहीं दी जाएगी।

4.6 कर्तव्य तालिका और चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

4.6.1 प्रत्येक फाटकवाले के लिए ड्यूटी और आराम के घंटों का विवरण देने वाला रोस्टर फाटक-गुमटी पर रखा जाता है। रोस्टर में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित होता है कि किस फाटकवाले को किस निश्चित समय पर ड्यूटी पर होना आवश्यक है। एसएसई (प्रभारी) के आदेश के बिना कोई भी फाटकवाला अपनी ड्यूटी के घंटे नहीं बदलेगा।

4.6.2 प्रत्येक फाटकवाले की आवधिक चिकित्सा परीक्षा और दृष्टि परीक्षण संबन्धित पूर्ण विवरण फाटक-गुमटी में रखा जाता है।

5 फाटकवाले के कर्तव्य

5.1 फाटकवाला समपार फाटक पर ड्यूटी के दौरान बैज और निर्धारित वर्दी पहनेगा।

5.2 फाटकवाला यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के दौरान उसके पास सक्षमता प्रमाण पत्र हो।

5.3 फाटक संचालन नियमों का ज्ञान

फाटकवाले को फाटक के संचालन के निर्देशों का ज्ञान होना चाहिए और फाटक खोलने और बंद करने के लिए उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। फाटकवाले को रेलगाड़ी की आवाजाही के लिए किसी भी असुरक्षित स्थिति की स्थिति में रेलपथ की सुरक्षा के लिए संरक्षा नियमों की भी जानकारी होनी चाहिए।

5.4 रेलपथ के आर-पार जाम झंडा लगाना

रेलपथ के आर-पार जाम झंडा (बैनर फ्लैग) लगाना केवल तब सुनिश्चित किया जाना चाहिए जब गैर-अंतर्पाशित समपार पर फाटक को खुली स्थिति में रखा जाए और आपात स्थिति के दौरान या अन्य प्रकार के

फाटकों पर रेलपथ पर रुकावट हो। {रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2000/संरक्षा (एएंडआर)\9/39, दिनांक 04.11.2003 की मद (ii)}

5.5 सुरक्षा उपकरण और गियर का रखरखाव

तीन-रंग की टॉर्च, जाम-झंडा (बैनर-फ्लैग), पटाखे, झंडियां, हाथ सिगनल इत्यादि संरक्षा उपकरणों के रखरखाव की जिम्मेदारी फाटकवाले की होती है।

फाटकवाला यह सुनिश्चित करेगा कि फाटक की बत्तियाँ और सभी फाटक सिगनल की बत्तियाँ सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलती रहें।

5.6 पहियों के फ्लेंज के लिए नाली

फाटकवाला यह देखेगा कि पहियों के फ्लेंज के लिए नाली को साफ रखा गया है।

5.7 फाटक के प्रभार का स्थानांतरण

5.7.1 विशेष निर्देशों के अलावा, कोई भी फाटकवाला अपने फाटक को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि किसी अन्य फाटकवाले ने इसका प्रभार नहीं लिया हो।

5.7.2 कार्यभार सौंपते या लेते समय, फाटकवाले और उनके रिलीवर्स को संयुक्त रूप से सभी उपकरणों की जांच करनी चाहिए और यह देखने के लिए कि सभी

गियर ठीक हैं, उनका परीक्षण करना चाहिए।

5.8 सतर्कता

फाटकवाला अलर्ट रहें और खतरे की आशंका होने पर तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार रहे। फाटकों की चाबियाँ उसके कब्जे में रहेगीं।

5.9 फाटकवाले की स्थिति और गुजरने वाली ट्रेनों का अवलोकन

ट्रेनों के गुजरने के दौरान फाटकवाला नीचे बताए गए तरीके से खड़ा होगा:-

5.9.1 फाटकवाला आने वाली रेलगाड़ी की तरफ मुँह करके गेट-लॉज के सामने चौकस होकर खड़ा होगा।

5.9.2 दिन के समय, फाटकवाला लाल और हरी झंडी को क्रमशः दाएं और बाएं हाथों में अलग-अलग डंडियों पर लपेटकर पकड़े रखेगा।

5.9.3 रात के समय, फाटकवाले को रेलपथ की तरफ मुँह करके के सामने सफेद रोशनी के साथ जलती हुई हाथ सिगनल बत्ती पकड़े रखेगा।

5.9.4 वह सीटी को अपने गले में डोरी से बांधकर रखे।

5.9.5 फाटकवाला सभी गुजरने वाली रेलगाड़ियों को देखेगा

और किसी भी असामान्य जैसे गर्म-धुरा, लटकी हुई जंजीरें, लटकती बैटरी, किसी भी वाहन/वैगन/रेलगाड़ी/ बैटरी बॉक्स में आग लगने, शिफ्ट हुए भार, फ्लैट टायर, गिरने वाली सामग्री जैसे ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रैकेट, वैक्यूम सिलेंडर या कोई अन्य स्थिति जो रेलगाड़ियों के सुरक्षित संचालन को खतरे में डालती है, पर पैनी नजर रखेगा और गाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगा।

5.9.6 फाटकवाला किसी भी सिगनल को दोहराने के लिए भी तैयार रहेगा जो गार्ड वॉकी-टॉकी पर या किसी अन्य तरीके से लोको पायलट को दे सकता है।

5.10 रेलगाड़ी में असामान्य घटना होने पर कार्रवाई

5.10.1 यदि फाटकवाला किसी गुजरती रेलगाड़ी के साथ कोई असामान्य घटना देखता है, तो वह निम्नलिखित कार्रवाई करेगा:-

(a) वह दिन में लाल झंडी और रात में लाल बत्ती दिखाकर चालक/गार्ड को गुजरने वाली रेलगाड़ी के बारे में चेतावनी देने के लिए त्वरित कार्रवाई करेगा।

(b) वह एक ही समय पर लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाते

हुए, इशारे से, ब्रेक वैन पर गिट्टी फेंक कर या किसी अन्य माध्यम से चालक/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेगा।

(c) यदि चालक/गार्ड नोटिस लेने में विफल रहता है और यदि टेलीफोन जुड़ा हुआ है, तो फाटकवाला तत्काल स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन को निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित करेगा।

5.10.2 यदि फाटकवाले ने नोटिस किया कि एक रेलगाड़ी अलग हो गई है, तो वह रोक हाथ सिगनल नहीं दिखाएगा

(ए) वह लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाते हुए, इशारा करते हुए और दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर, उन्हें जल्दी-जल्दी अलग करके और एक साथ लाकर, जितना हो सके ऊपर और नीचे की गति में दोहराते हुए चालक/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेगा।

(बी) यदि गाड़ी नहीं रूकती है, और यदि टेलीफोन जुड़ा हुआ है, तो फाटकवाला तत्काल स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/ केबिनमैन को निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित करेगा।

5.11 समपार पर दोष

यदि कोई फाटक या उसके फाटक का बन्धन, या फाटक से संबंधित कोई स्थिर सिगनल खराब हो जाता है, तो फाटकवाला:-

5.11.1 यदि संभव हो, तो फाटकों को सड़क यातायात के सामने बंद करने की कार्रवाई करें।

5.11.2 फाटकों को बंद करने के बाद, समपार से गुजरने वाली रेलगाड़ी की आवाजाही को हाथ से संकेत दे।

5.11.3 यदि फाटक इतना बंद नहीं किया जा सकता है तो जाम झंडा (बैनर फ्लैग) या समपार झंडी इस तरह से लगाएं कि आने वाली रेलगाड़ी को फाटक के पास रुकने की चेतावनी दी जाए और उसके बाद रेलगाड़ी को हाथ सिगनल दिया जाए।

5.11.4 गेट बूम/लीफ की लॉकिंग व्यवस्था के विफल होने की स्थिति में फाटक बूम/लीफ को एक छोटी चेन और ताला का उपयोग करके ठीक से सुरक्षित किया जाना चाहिए।

5.11.5 फाटकवाला समपार में खराबी के बारे में एसएम, एसएसई/जेई/पी.वे और निकटतम गैंगमेट को रिपोर्ट करेगा।

5.12 आपात स्थिति में कार्रवाही

यदि समपार पर कोई फाटक सिगनल हो तब समपार पर अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में फाटकवाले को उसे "ऑन" स्थिति में रखना चाहिए और यदि अवरोध हटाने में असमर्थ रहता है, तो नीचे लिखे अनुसार लाइन की सुरक्षा करे।

5.12.1 डबल लाइन पर, यदि दिन के समय यदि दोनों लाइनें बाधित हैं, तो फाटकवाला उस लाइन पर जिस पर गाड़ी आने की संभावना पहले है, लाल जामझंडा चेक रेल के सिरे से 5 मीटर की दूरी पर लगाएगा, और फिर दूसरा लाल जामझंडा बाधित स्थल के दूसरी तरफ लगाएगा। इसके बाद फाटकवाला लाल हाथ सिगनल लेगा और उसे दिखाते हुए आने वाली रेलगाड़ी की दिशा में समपार से 600 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ेगा और लाइन पर एक पटाखा लगाएगा, जिसके बाद वह और आगे बढ़ेगा तथा समपार से कम से कम 1200 मीटर की दूरी पर लाइन पर 3 पटाखे लगाएगा जो आपस में लगभग 10 मीटर की दूरी पर हों। इस प्रकार जिस लाइन पर गाड़ी पहले आने की संभावना हो, उसे सुरक्षित कर वह समपार पर लौट आएगा तथा लौटते हुए बीच में लगे पटाखे

को उठा लाएगा। इसके पश्चात वह लाल हाथ झंडी दिखाते हुए दूसरी लाइन पर आगे बढ़ेगा तथा पहले की भांति पटाखे लगाएगा एवं अवरोध स्थल पर वापस आ जाएगा जिससे आने वाली गाड़ी के चालक को बाधा की चेतावनी दे सके।

5.12.2 सिंगल लाइन पर, यदि दिन के दौरान लाइन बाधित होती है, तो जिस तरफ से गाड़ी आने की संभावना पहले है, फाटकवाला चेक रेल के सिरे से 5 मीटर की दूरी पर लाल जाम झंडा लगाएगा और तब दूसरा लाल जाम झंडा बाधित स्थल के दूसरी तरफ भी 5 मीटर की दूरी पर लगाएगा। इसके बाद फाटकवाला लाल हाथ सिगनल लेगा और उसे दिखाते हुए आने वाली रेलगाड़ी की दिशा में समपार से 600 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ेगा और लाइन पर एक पटाखा लगाएगा, जिसके बाद वह और आगे बढ़ेगा तथा समपार से कम से कम 1200 मीटर की दूरी पर लाइन पर 3 पटाखे लगाएगा जो आपस में लगभग 10 मीटर की दूरी पर हों। इस प्रकार जिस लाइन पर गाड़ी पहले आने की संभावना हो, उसे सुरक्षित कर वह समपार पर लौट आएगा और उसी तरह से लाइन को दूसरी दिशा में सुरक्षित करने के लिए दूसरी दिशा में पूरी शीघ्रता के साथ आगे बढ़े। दोनों

तरफ लाइन की रक्षा करने के बाद, फाटकवाले को बाधा के स्थान पर खड़ा होना चाहिए ताकि आने वाली रेलगाड़ी के चालक को चेतावनी दी जा सके।

5.12.3 रात के समय फाटकवाले को दो हाथ सिगनल बत्ती जलाना चाहिए और लालबत्ती प्रदर्शित करने के लिए कार्रवाई और लाइनों की सुरक्षा करनी चाहिए।

5.12.4 फाटकवाले को गैंगमेट, जेई/एसएसई/ पी.वे और निकटतम स्टेशन मास्टर को संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध माध्यमों से समपार पर बाधा के बारे में सूचित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

5.13 अनधिकार

प्रत्येक फाटकवाला, जहां तक संभव हो, व्यक्तियों या मवेशियों द्वारा किसी भी तरह के अनधिकार को रोकेगा।

6 इंजीनियरिंग समपार फाटक के लिए कार्य निर्देश

6.1 संचालन का तरीका

6.1.1 स्थानीय परिचालन आवश्यकताओं को शामिल करते हुए समपार फाटक को खोलने और बंद करने के लिए संचालन का विस्तृत तरीका संबंधित स्टेशन संचालन नियमों और फाटक संचालन निर्देशों में प्रदान किया

जाता है। जब सड़क यातायात के मार्ग के लिए समपार फाटक को खोलना आवश्यक हो, तो फाटकवाले को आने वाले सड़क यातायात से सबसे दूर फाटक को सबसे पहले खोलना होगा और फिर आने वाले सड़क यातायात के निकट के फाटक को खोलना होगा।

6.1.2 गेट की वास्तविक कार्यप्रणाली स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न हो सकती है, तो भी विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग गेटों के लिए व्यापक कार्य निर्देशों पर निम्नलिखित अनुच्छेद में विस्तार में चर्चा की जा रही है।

6.1.3 मानवयुक्त, गैर-अंतर्पाशित, सामान्य स्थिति "सड़क यातायात के लिए बंद" समपार फाटकों के लिए विस्तृत निर्देश तैयार करते समय, प्रत्येक 20 मिनट के आसपास गेट खोलने का प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए। (संदर्भ: रेलवे बोर्ड पत्र संख्या: 2000/ संरक्षा (एएंडआर)/19/39 पीटी दिनांक 4.09.2010)

6.2 विभिन्न प्रकार के समपारों के लिए विशेष निर्देश

6.2.1 फाटक सिगनल के साथ अंतर्पाशित किया गया, टेलीफोन प्रदान किया गया, सामान्य स्थिति 'सड़क यातायात के लिए खुला'।

(ए) फाटकवाले को सूचना

i. रेलगाड़ी के प्रस्थान के तुरंत बाद, स्टेशन मास्टर/ स्विचमैन/केबिनमैन निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत, फाटकवाले को उसके अंत में जुड़े टेलीफोन के माध्यम से, संख्या, विवरण, दिशा और फाटक से रेलगाड़ी के गुजरने के अपेक्षित समय के बारे में सूचित करेगा।

ii. यदि टेलीफोन प्राप्तकर्ता छोर पर स्टेशन से जुड़ा है, तो यह सलाह स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन द्वारा फाटकवाले को निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत दी जाएगी, जैसे ही उसे प्रेषण स्टेशन से रेलगाड़ी में प्रवेश करने की सलाह मिलती है।

iii. यदि रेलगाड़ी का सेक्शन के किसी भी अंतिम छोर से आने का वास्तविक समय 10 मिनट से कम है, तो स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन लाइन क्लियर प्राप्त करने/ अनुदान देने से पहले फाटकवाले को यह सलाह देंगे।

iv. फाटकवाले का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह समय से फाटक बंद कर दें, जिससे कि रेलगाड़ी के लिए कोई विलम्ब ना हो या सड़क यातायात में अत्यधिक विलम्ब उत्पन्न न हो।

(बी) टेलीफोन संचार की विफलता

i. जब टेलीफोन संचार विफल हो जाता है अथवा 2 या 3 प्रयासों के बावजूद फाटकवाला से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली ट्रेन के लोको पायलट को चेतावनी आदेश जारी करेगा।

ii. स्टेशन मास्टर लोको पायलट को लगातार सीटी बजाते रहने और गेट के पास जाते समय सावधानी से आगे बढ़ने की सलाह देगा।

iii. यदि गेट सिगनल 'ऑन' है तो उसे गेट सिगनल से पहले रुकना चाहिए और गेटमैन फाटक बंद करने के बाद पासिंग ट्रेन को दिन में हरी झंडी और रात में हरी बत्ती दिखाएगा।

iv. आने वाली रेलगाड़ी के मामले में, स्टेशन मास्टर निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत प्रेषण छोर पर स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा कि फाटक पर टेलीफोन विफल हो गया है।

v. उसके बाद प्रेषण छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर अपने छोर से ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को एक सतर्कता आदेश जारी

करेगा।

vi. स्टेशन मास्टर ट्रैक मेंटेनर/पैट्रोलमैन या पहली रेलगाड़ी के लोको पायलट के माध्यम से फाटकवाले को भी सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब हो गया है।

vii. स्टेशन मास्टर को टेलीफोन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एसएंडटी कर्मचारियों को भी जल्द से जल्द इसे ठीक करने की सलाह देनी चाहिए।

i. एसएंडटी स्टाफ द्वारा टेलीफोन को ठीक करने और उसके लिए पुन: संयोजन/फिट मेमो जारी करने के बाद ही सामान्य कामकाज फिर से शुरू किया जाएगा।

(सी) उठान फाटक या लीफ फाटक की विफलता

i. जब उठान फाटक या लीफ फाटक की विफलता के कारण फाटक बंद नहीं किया जा सकता है, तो फाटकवाला तुरंत निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत ड्यूटी पर स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा, और सुनिश्चित करेगा कि उठान फाटक या लीफ फाटक रेलपथ को अतिक्रमित नहीं करते हैं।

ii. वह तुरंत दिन में लाल जाम झंडा और रात में लाल

बत्ती उस छोर के पोस्ट पर पहले लगाएगा जहां से रेलगाड़ी आ रही है और फिर दूसरे छोर पर।

iii. फाटकवाला सुरक्षा जंजीरों और ताले के माध्यम से सड़क यातायात से फाटक को सुरक्षित करेगा।

iv. सड़क यातायात के सामने फाटक को सुरक्षित करने के बाद, फाटकवाला दिन में हरी झंडी और रात में हरी बत्ती आने वाली रेलगाड़ी के चालक को दिखाएगा।

v. ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली गाड़ी के चालक को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

vi. वह निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत प्रेषण छोर के स्टेशन मास्टर को भी इसी तरह ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी भेजने से पहले चालक को चेतावनी आदेश जारी करने की सलाह देगा।

vii. स्टेशन मास्टर उठान फाटक या लीफ फाटक के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अनुरक्षण कर्मचारियों को जल्द से जल्द इसे ठीक करने की सूचना देगा।

viii. रखरखाव कर्मचारियों द्वारा उठान फाटक या लीफ फाटक की मरम्मत करने और उसके लिए पुन: संयोजन/फिट मेमो जारी करने के बाद ही सामान्य कामकाज फिर से शुरू किया जाएगा।

(डी) फाटक बंद की स्थिति में फाटक चाबी की विफलता, जब फाटक खोलने के लिए फाटक की चाबी नहीं निकाली जा सकती।

i. यदि फाटक की चाबी विंच, फाटक सिगनल लीवर या चाबी ट्रांसमीटर से नहीं निकाली जा सकती है तो फाटकवाले को निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत तत्काल टेलीफोन पर ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन को सूचित करना चाहिए।

ii. यदि गेट-लॉज/ केबिन में आपातकालीन चाबी उपलब्ध है तो फाटकवाला/स्विचमैन/केबिनमैन/लीवरमैन सील बंद बॉक्स से सील तोड़कर उसे बाहर निकालेगा और सड़क यातायात के लिए फाटक खोलेगा।

iii. आकस्मिक चाबी पेटी के सीलबंद आवरण को तोड़ने की तारीख और समय का अभिलेख दर्ज किया जाएगा और कारणों सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे।

iv. इसके बाद, फाटक को गैर-अंतर्पाशित के रूप में माना जाना चाहिए और गैर-अंतर्पाशित फाटकों के लिए निर्धारित ट्रेनों के आगमन/प्रस्थान के लिए प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

v. ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली

गाड़ी के चालक को चेतावनी आदेश जारी करेगा।

vi. वह निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत, प्रेषण छोर पर स्टेशन मास्टर को भी सूचना देगा कि वह अपने यहाँ से ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी भेजने से पहले ड्राइवर को चेतावनी आदेश जारी करे।

vii. स्टेशन मास्टर चाबी ट्रांसमीटर के रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार सिगनल कर्मचारियों को जल्द से जल्द इसकी मरम्मत करने की सूचना देगा।

viii. सिगनल कर्मचारियों द्वारा कुंजी ट्रांसमीटर की मरम्मत करने और उसके लिए पुन: संयोजन/फिट मेमो जारी करने के बाद ही सामान्य कामकाज फिर से शुरू होगा।

ix. सुधार के बाद, आपातकालीन चाबी को आपातकालीन चाबी बॉक्स में प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा और सिगनल अनुरक्षक द्वारा फिर से सील कर दिया जाएगा।

(ई) फाटक की खुली स्थिति में फाटक की चाबी का फेल होना

i. यदि चरखी, फाटक सिगनल उत्तोलक (लीवर) या की ट्रांसमीटर से फाटक की चाबी नहीं निकाली जा सकती है तो फाटकवाले को ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन

मास्टर/स्विचमैन/ केबिनमैन को निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत तत्काल टेलीफोन पर सूचित करना चाहिए।

ii. इसके बाद फाटक को गैर-अंतर्पाशित के रूप में माना जाना चाहिए और गैर-अंतर्पाशित फाटकों के लिए निर्धारित रेलगाड़ियों के आगमन/प्रस्थान की प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए।

iii. फाटकवाला जंजीरों और तालों के माध्यम से सड़क यातायात के लिए फाटक को बंद करेगा और हाथ सिगनल पर रेलगाड़ियों को पास करेगा।

iv. ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर एक प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

v. वह निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत प्रेषण छोर पर स्टेशन मास्टर को भी सलाह देगा कि इसी प्रकार उसकी तरफ से ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करें।

vi. स्टेशन मास्टर की ट्रांसमीटर को मरम्मत करने के लिए जिम्मेदार एसएंडटी कर्मचारियों को जल्द से जल्द इसकी मरम्मत करने की सलाह देगा।

vii. एसएंडटी के कर्मचारियों द्वारा की ट्रांसमीटर की मरम्मत करने और उसके लिए पुन: संयोजन/फिट मेमो जारी करने के बाद ही सामान्य कामकाज फिर से शुरू होगा।

viii. सुधार के बाद, आपातकालीन चाबी को आपातकालीन चाबी बॉक्स में प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा और एसएंडटी अनुरक्षक द्वारा फिर से सील कर दिया जाएगा।

(एफ) दोषपूर्ण फाटक सिगनल

i. फाटकवाला फाटक सिगनल को दोषपूर्ण मानेगा और निम्नलिखित परिस्थितियों में उन्हें झुकाना नहीं चाहिए:-

(1) यदि फाटक सिगनलों को बिना फाटक बंद किए 'ऑफ' किया जा सकता है, या

(2) फाटक खुली स्थिति में होने पर परिचालन चरखी से चाबी निकाली जा सकती है, या

(3) जब फाटक खुली स्थिति में हो तो लीफ गेट्स से चाबी निकाली जा सकती है।

ii. यदि फाटक या फाटक सिगनल या चेतावनी/दूर सिगनल 'ऑफ' पोजीशन में खराब हो जाता है तो

फाटकवाला जरूरत पड़ने पर सिगनल के तार को काट कर भी इसे 'ऑन' पोजीशन पर रखने का हर संभव प्रयास करेगा।

iii. फाटकवाला तत्काल ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को प्राइवेट संख्या के आदान-प्रदान के तहत दोषपूर्ण फाटक सिगनल के बारे में सूचित करेगा।

iv. इसके बाद फाटक को गैर-अंतर्पाशित के रूप में माना जाना चाहिए और गैर-अंतर्पाशित फाटकों के लिए निर्धारित रेलगाड़ियों के आगमन/प्रस्थान की प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए।

v. वह फाटक बंद करने के बाद गुजरती रेलगाड़ी को दिन में हरी झंडी और रात में हरी बत्ती दिखाएगा।

vi. ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

vii. वह निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत प्रेषण छोर पर स्टेशन मास्टर को भी सूचना देगा कि इसी तरह उसकी तरफ से लोको पायलट को ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी भेजने से पहले सतर्कता आदेश जारी करें।

viii. स्टेशन मास्टर फाटक सिगनल को मरम्मत करने के

लिए जिम्मेदार एसएंडटी कर्मचारियों को जल्द से जल्द इसे ठीक करने की सूचना देगा।

ix. एसएंडटी कर्मचारियों द्वारा दोषपूर्ण फाटक सिगनल को ठीक करने और उसके लिए पुन: संयोजन/फिट मेमो जारी करने के बाद ही सामान्य कामकाज फिर से शुरू किया जाएगा।

(जी) फाटक पर बाधा

i. यदि फाटक किसी सड़क वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है जो रेलपथ को बाधित कर रहा है, या यदि उठान फाटक या लीफ फाटक या फाटक का कोई अन्य हिस्सा रेलपथ को बाधित करता है, या यदि फाटक पर कोई अन्य बाधा है, तो फाटकवाला तुरंत फाटक सिग्नल 'ऑन' स्थिति में वापस कर देगा।

ii. वह फाटक के दोनों सिरों पर इस प्रयोजन के लिए लगाए गए पोस्ट पर तुरंत दिन में लाल रंग का जाम झंडा और रात में लालबत्ती लगाएगा।

iii. इसके तुरंत बाद फाटकवाला ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन को निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत फाटक पर खराबी/बाधाओं के बारे में सूचित करेगा।

iv. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो वह पहले फाटक की सुरक्षा करेगा और फिर फोन पर सूचित करेगा।

v. फाटकवाला तब पटाखे, फ्यूजी, दिन में लाल झंडी और रात में लाल सिगनल हाथबत्ती के साथ आने वाली रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ेगा और फाटक की रक्षा करेगा।

vi. इसके बाद वह दूसरी दिशा में भी फाटक की रक्षा करेगा।

vii. वह सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, मालिक का नाम नोट करेगा और इन विवरणों को स्टेशन मास्टर को बताएगा, वो तब तक रेलगाड़ी शुरू नहीं करेगा जब तक कि फाटकवाले द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि सड़क वाहन या उठान फाटक या लीफ फाटक रेलपथ को बाधित नहीं कर रहे हैं।

viii. स्टेशन मास्टर निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत प्रस्थान छोर पर स्टेशन मास्टर को भी सूचित करेगा कि जब तक रेलपथ सभी बाधाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह ब्लॉक सेक्शन में किसी भी रेलगाड़ी को अपने छोर से नहीं भेजे।.

ix. सभी अवरोधों से रेलपथ साफ हो जाने के बाद फाटकवाला निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत स्टेशन मास्टर को तदनुसार सूचित करेगा।

x. यदि फाटक टूटा हुआ है, लेकिन किसी भी बाधा से मुक्त है, तो स्टेशन मास्टर सभी ट्रेनों के लोको पायलटों को सावधानी से आगे बढ़ने, और फाटकवाले के हरे हाथ सिगनल पर फाटक सिगनल 'ऑन' स्थिति में पास करने के लिए सतर्कता आदेश जारी करेगा।

xi. यदि फाटक बाधित नहीं है, तो फाटकवाला सुरक्षा जंजीरों और तालों के माध्यम से सड़क यातायात के लिए फाटक को सुरक्षित करेगा और उसके बाद रेलगाड़ी को पास करने के लिए हरी झंडी दिखाएगा।

xii. स्टेशन मास्टर उठान फाटक या लीफ फाटक के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अनुरक्षण कर्मचारियों को जल्द से जल्द उनकी मरम्मत करने की सूचना देगा।

xiii. रखरखाव कर्मचारियों द्वारा दोषपूर्ण उठान फाटक या लीफ फाटक को ठीक करने और उसके लिए पुन: संयोजन/फिट मेमो जारी करने के बाद ही सामान्य कामकाज फिर से शुरू किया जाएगा।

(एच) समपार फाटक के पास रेलपथ पर बाधा

i. यदि कोई रेल फ्रेक्चर/या किसी पेड़ के गिरने से रेलपथ पर रुकावट हो, सड़क के वाहन से बाधित या पटरी से उतरने के कारण जो फाटकवाले को दिखाई दे, तो फाटकवाला और स्टेशन मास्टर उपरोक्त मद संख्या (जी) के तहत दी गई प्रक्रिया को अपनाएंगे।

ii. यदि रुकावट समपार फाटक को बाधित कर रही है तो फाटकवाले को फाटकों को सड़क यातायात के सामने तब तक बंद रखना चाहिए जब तक कि मार्ग बाधा से मुक्त न हो जाए।

6.2.2 गैर-अंतर्पाशित, टेलीफोन प्रदान किया गया, सामान्य स्थिति "सड़क यातायात के लिए खुला"।

(ए) निजी संख्या का आदान-प्रदान

i. जब फाटक स्टेशन के प्रेषण छोर पर जुड़ा हो

(1) प्रेषण छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत फाटकवाले को फाटक पर रेलगाड़ी के गुजरने की संख्या, विवरण, दिशा और अपेक्षित समय की सूचना देगा।

(2) ऐसी सलाह प्रस्थान सिगनल 'ऑफ' करने या लोको पायलट को आगे बढ़ने का अधिकार देने से पहले दी

जायेगी।

(3) सूचना प्राप्त होने पर फाटकवाला ठीक समय पर फाटक बंद कर देगा और निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत इसकी पुष्टि करेगा।

(4) फाटकवाले से प्राइवेट संख्या मिलने के बाद स्टेशन मास्टर/ स्विचमैन/केबिनमैन प्रस्थान सिगनल को झुका (लोअर) देंगे।

(5) एक बार सड़क यातायात के लिए बंद किए गए फाटक को तब तक नहीं खोला जाना चाहिए जब तक कि इसे निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/ केबिनमैन द्वारा अधिकृत न किया गया हो।

ii. जब फाटक आगमन छोर पर स्टेशन से जुड़ा हो

(1) प्रेषण छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन दूसरे छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन को निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत फाटक पर रेलगाड़ी की संख्या, विवरण, दिशा और अपेक्षित समय की सूचना देगा।

(2) ऐसी सलाह लाइन क्लियर प्राप्त करने से पहले दी जानी चाहिए।

(3) आगमन छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/ केबिनमैन निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत फाटकवाले को वही सलाह व्यक्त करेगें।

(4) फाटकवाला फाटक बंद कर देगा और उसके बाद स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन को अपना निजी संख्या देगा।

(5) इसके बाद ही आगमन छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर/ स्विचमैन/केबिनमैन प्रेषण छोर के स्टेशन मास्टर/ स्विचमैन/केबिनमैन को लाइन क्लियर देगा।

(6) एक बार सड़क यातायात के लिए बंद किए गए फाटक को तब तक नहीं खोला जाना चाहिए जब तक कि इसे स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन द्वारा निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत अधिकृत न किया गया हो।

(बी) टेलीफोन संचार की विफलता

i. जब टेलीफोन संचार विफल हो जाता है अथवा 2 या 3 प्रयासों के बावजूद फाटकवाला से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो प्रेषण छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर अपने छोर से ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

ii. सतर्कता आदेश में लोको पायलट को लगातार सीटी

बजाने और सावधानी से फाटक के पास जाने की सलाह दी जानी चाहिए।

iii. लोको पायलट को निर्देश दिया जाना चाहिए कि फाटकवाले द्वारा हाथ सिगनल दिए जाने पर सावधानी से फाटक पास किया जाए।

iv. आने वाली रेलगाड़ी के मामले में, स्टेशन मास्टर निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत प्रेषण छोर पर स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा कि फाटक पर टेलीफोन विफल हो गया है।

v. उसके बाद प्रेषण छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर अपने छोर से ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को **सतर्कता आदेश जारी करेगा।**

vi. स्टेशन मास्टर ट्रैक मेंटेनर/पैट्रोलमैन या पहली रेलगाड़ी के लोको पायलट के माध्यम से फाटकवाले को भी सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब हो गया है।

vii. उन्हें टेलीफोन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एसएंडटी कर्मचारियों को भी दोष को जल्द से जल्द सुधारने के लिए सूचना देनी चाहिए।

viii. एसएंडटी स्टाफ द्वारा टेलीफोन को ठीक करने को ठीक करने और उसके लिए पुन: संयोजन/फिट मेमो जारी

करने के बाद ही सामान्य कामकाज फिर से शुरू किया जाएगा।

(सी) उठान फाटक या लीफ फाटक की विफलता

i. जब उठान फाटक या लीफ फाटक की विफलता के कारण फाटक बंद नहीं किया जा सकता, तो फाटकवाला तुरंत निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन को ड्यूटी पर सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उठान फाटक या लीफ फाटक रेलपथ को बाधित नहीं करते हैं।

ii. वह तुरंत दिन में लाल जाम झंडा और रात में लाल बत्ती उस छोर की पोस्ट पर पहले लगाएगा जहां से रेलगाड़ी आ रही है और फिर दूसरे छोर पर।

iii. फाटकवाला सुरक्षा जंजीरों और तालों के माध्यम से सड़क यातायात के लिए फाटक को बंद करेगा।

iv. सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुरक्षित करने के बाद वह आने वाली रेलगाड़ी के लोको पायलट को दिन में हरी झंडी और रात में हरी बत्ती दिखाएगा।

v. ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

vi. वह निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत प्रेषण छोर के स्टेशन मास्टर को भी सूचना देगा कि वह अपने यहाँ से ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को इसी तरह सतर्कता आदेश जारी करे।

vii. उन्हें उठान फाटक/लीफ फाटक के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अनुरक्षण कर्मचारियों को जल्द से जल्द इसे ठीक करने की सूचना भी देनी चाहिए।

viii. रखरखाव कर्मचारियों द्वारा उठान फाटक/लीफ फाटक को ठीक करने और उसके लिए पुन: संयोजन/फिट मेमो जारी करने के बाद ही सामान्य कामकाज फिर से शुरू किया जाएगा।

(डी) फाटक पर बाधा

i. यदि फाटक किसी सड़क वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है जो रेलपथ को बाधित कर रहा है, या यदि उठान फाटक/लीफ फाटक या फाटक का कोई अन्य हिस्सा रेलपथ को बाधित करता है, या यदि

फाटक पर कोई अन्य बाधा है, तो इस प्रयोजन के लिए फाटक के दोनों सिरों पर लगाए गए पोस्ट पर फाटकवाला तुरंत दिन में लाल रंग का जाम झंडा और रात में लालबत्ती लगाएगा।

ii. इसके तुरंत बाद फाटकवाला ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन को निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत फाटक पर खराबी/बाधा के बारे में सूचित करेगा।

iii. ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/ केबिनमैन को सूचना दी जाएगी कि यदि रेलगाड़ी के लिए आगमन/प्रस्थान सिग्नल 'ऑफ' किया गया है तो उसको वापस 'ऑन' स्थिति में डाल दें।

iv. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो वह पहले फाटक की सुरक्षा करेगा और फिर फोन पर सूचित करेगा।

v. फाटकवाला तब पटाखे, फ्यूजी, और दिन में लाल झंडी और रात में लालबत्ती हाथ सिग्नल के साथ आने वाली रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ेगा और फाटक की रक्षा करेगा।

vi. इसके बाद वह दूसरी दिशा में भी फाटक की रक्षा करेगा।

vii. वह सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, मालिक का नाम नोट करेगा और इन विवरणों को स्टेशन मास्टर को बताएगा, वो तब तक रेलगाड़ी शुरू नहीं करेगा जब तक कि फाटकवाले द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि सड़क वाहन या उठान फाटक/लीफ फाटक रेलपथ को बाधित नहीं कर रहे हैं।

viii. स्टेशन मास्टर निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत प्रेषण छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर को भी सूचित करेगा कि जब तक रेलपथ सभी बाधाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह ब्लॉक सेक्शन में किसी भी रेलगाड़ी को अपने छोर से नहीं भेजे।

ix. सभी अवरोधों से रेलपथ साफ हो जाने के बाद फाटकवाला निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत स्टेशन मास्टर को तदनुसार सूचित करेगा।

x. यदि फाटक टूटा हुआ है लेकिन कोई बाधा नहीं है, तो स्टेशन मास्टर सभी रेलगाड़ियों के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह सावधानी से आगे बढ़ें और फाटकवाले के हरे हाथ सिगनल पर

फाटक पास करें।

xi. यदि फाटक बाधित नहीं है, तो फाटकवाला सुरक्षा जंजीरों और तालों के माध्यम से सड़क यातायात के सामने फाटक को सुरक्षित करेगा और और उसके बाद ट्रेन को पास करने के लिए हरा हाथ सिगनल प्रदर्शित करेगा।

xii. स्टेशन मास्टर उठान फाटक/लीफ फाटक के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अनुरक्षण कर्मचारियों को जल्द से जल्द उसकी मरम्मत करने की सूचना देगा।

xiii. रखरखाव कर्मचारियों द्वारा दोषपूर्ण उठान फाटक/लीफ फाटक को ठीक करने और उसके लिए पुन: संयोजन/फिट मेमो जारी करने के बाद ही सामान्य कामकाज फिर से शुरू किया जाएगा।

(ई) समपार फाटक के पास रेलपथ पर बाधा

i. यदि कोई रेल फ्रेक्चर/या किसी पेड़ के गिरने से रेलपथ पर रुकावट हो, सड़क के वाहन से बाधित या पटरी से उतरने के कारण जो फाटकवाले को दिखाई दे, तो फाटकवाला और स्टेशन मास्टर उपरोक्त मद संख्या (डी) के तहत दी गई प्रक्रिया को अपनाएंगे।

ii. यदि रुकावट समपार फाटक को बाधित कर रही है तो फाटकवाले को फाटकों को सड़क यातायात के सामने तब तक बंद रखना चाहिए जब तक कि मार्ग बाधा से मुक्त न हो जाए।

6.2.3 गैर-अंतर्पाशित, टेलीफोन प्रदान किया गया, सामान्य स्थिति "सड़क यातायात के लिए बंद"

(ए) निजी संख्या का आदान-प्रदान

i. फाटक खोलने के लिए फाटकवाले को स्टेशन मास्टर/ स्विचमैन/केबिनमैन से अनुमति लेनी होगी।

ii. स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन यह सुनिश्चित करेंगे कि ब्लॉक सेक्शन में कोई रेलगाड़ी नहीं चल रही है। इसके बाद स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन अपना निजी संख्या फाटकवाले को देगा, जिससे वह सड़क यातायात को पास करने के उद्देश्य से फाटक खोल सके

iii. स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन द्वारा उपयुक्त प्रविष्टियां लाल स्याही से रेलगाड़ी सिगनल पंजिका/ केबिन संचालन पंजिका, निजी संख्या पुस्तक और कार्यपंजी में की जाएंगी।

iv. सड़क यातायात के पारित होने के बाद फाटकवाला

फाटक बंद कर देगा और इसकी पुष्टि निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन को करेगा।

v. स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन को किसी भी रेलगाड़ी को फिर से ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि फाटकवाले से निजी संख्या फाटक बंद करने के संकेत में प्राप्त हुआ है।

vi. एक बार सड़क यातायात के लिए बंद किए गए फाटक को तब तक नहीं खोला जाना चाहिए जब तक कि इसे स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन द्वारा निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत अधिकृत न किया गया हो।

(बी) टेलीफोनिक संचार की विफलता

i. जब टेलीफोन संचार विफल हो जाता है अथवा 2 या 3 प्रयासों के बावजूद फाटकवाले से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो प्रेषण छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर अपने छोर से लोको पायलट को ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी भेजने से पहले एक सतर्कता आदेश जारी करेगा।

ii. सतर्कता आदेश में लोको पायलट को लगातार सीटी बजाने और सावधानी से फाटक के पास जाने की सलाह दी जाएगी।

iii. लोको पायलट को निर्देश दिया जाएगा कि फाटकवाले द्वारा हाथ से संकेत दिए जाने पर सावधानी से फाटक पास किया जाए। यदि हाथ सिगनल न दिखे तो लोको पायलट को फाटक के पास रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए और फाटक की स्थिति देखने के लिए अपने सहायक लोको पायलट को भेजना चाहिए।

iv. आने वाली रेलगाड़ी के मामले में, स्टेशन मास्टर निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत प्रेषण छोर पर स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा कि फाटक पर टेलीफोन विफल हो गया है।

v. प्रेषण छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर तब अपने छोर से ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को एक सतर्कता आदेश जारी करेगा।

vi. स्टेशन मास्टर ट्रैक मेंटेनर/पैट्रोलमैन या पहली रेलगाड़ी के लोको पायलट के माध्यम से फाटकवाले को भी सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब हो गया है।

vii. उन्हें टेलीफोन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एसएंडटी

कर्मचारियों को जल्द से जल्द इसे ठीक करने की सूचना भी देनी चाहिए।

viii. एसएंडटी स्टाफ द्वारा टेलीफोन को ठीक करने और उसके लिए पुनः संयोजन/फिट मेमो जारी करने के बाद ही सामान्य कामकाज फिर से शुरू किया जाएगा।

(सी) उठान फाटक या लीफ फाटक की विफलता

i. जब उठान फाटक या लीफ फाटक की विफलता के कारण फाटक बंद नहीं किया जा सकता, तो फाटकवाला निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत तुरंत ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा, और सुनिश्चित करेगा कि उठान फाटक या लीफ फाटक रेलपथ को बाधित नहीं करते हैं।

ii. वह तुरंत दिन में लाल जाम झंडा और रात में लाल बत्ती पहले उस छोर के पोस्ट पर लगाएगा जहां से रेलगाड़ी आ रही है और फिर दूसरे छोर पर।

iii. फाटकवाला सुरक्षा जंजीरों और तालों के माध्यम से सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुरक्षित करेगा।

iv. सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुरक्षित करने के बाद, वह आने वाली रेलगाड़ी के लोको पायलट को

दिन में हरी झंडी और रात में हरी बत्ती दिखाएगा।

v. ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा।.

vi. वह निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत प्रेषण छोर के स्टेशन मास्टर को भी सूचना देगा कि वह अपने यहाँ से ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को इसी तरह सतर्कता आदेश जारी करे।

vii. उन्हें उठान फाटक या लीफ फाटक की विफलता के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अनुरक्षण कर्मचारियों को इसे जल्द से जल्द ठीक करने की सूचना भी देनी चाहिए।

viii. सामान्य कामकाज तभी शुरू किया जाएगा जब रखरखाव कर्मचारियों द्वारा दोषपूर्ण उठान फाटक या लीफ फाटक को ठीक कर लिया जाएगा और उसके लिए पुन: संयोजन/फिट मेमो जारी करेगा।

(डी) फाटक पर बाधा

i. यदि फाटक किसी सड़क वाहन से टूट जाता है जो रेलपथ को बाधित कर रहा है, या यदि उठान फाटक

या लीफ फाटक या फाटक का कोई अन्य हिस्सा रेलपथ को बाधित करता है, या यदि फाटक पर कोई अन्य बाधा है, तो फाटकवाला तुरंत फाटक के दोनों सिरों पर इस प्रयोजन के लिए लगाए गए पोस्टों पर दिन में जाम झंडा और रात में लाल बत्ती लगाएगा।

ii. इसके तुरंत बाद फाटकवाला ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन को निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत फाटक पर खराबी/बाधा के बारे में सूचित करेगा।

iii. ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर/स्विचमैन/केबिनमैन को सूचना दी जाएगी कि यदि रेलगाड़ी के लिए आगमन/प्रस्थान सिग्नल 'ऑफ' किया गया है तो उसको वापस 'ऑन' स्थिति में डाल दें।

iv. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/ स्विचमैन/केबिनमैन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो वह पहले फाटक की सुरक्षा करेगा और फिर फोन पर सूचित करेगा.

v. फाटकवाला तब पटाखे, फ्यूजी, और दिन में लाल झंडी और रात में लाल सिग्नल हाथबत्ती के साथ आने वाली रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ेगा और फाटक की रक्षा करेगा।

vi. इसके बाद वह दूसरी दिशा में भी फाटक की रक्षा करेगा।

vii. वह सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, मालिक का नाम नोट करेगा और इन विवरणों को स्टेशन मास्टर को बताएगा, वो तब तक रेलगाड़ी शुरू नहीं करेगा जब तक कि फाटकवाले द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि सड़क वाहन या उठान फाटक/लीफ फाटक रेलपथ को बाधित नहीं कर रहे हैं।

viii. स्टेशन मास्टर निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत प्रेषण छोर पर स्टेशन मास्टर को भी सूचित करेगा कि जब तक रेलपथ सभी बाधाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह ब्लॉक सेक्शन में किसी भी रेलगाड़ी को अपने छोर से नहीं भेजे।

ix. सभी अवरोधों से रेलपथ साफ हो जाने के बाद फाटकवाला निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत स्टेशन मास्टर को तदनुसार सूचित करेगा।

x. यदि फाटक टूटा हुआ है लेकिन कोई बाधा नहीं है, तो स्टेशन मास्टर सभी रेलगाड़ियों के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह सावधानी से आगे बढ़ें और फाटकवाले के हरे हाथ सिगनल पर

फाटक पास करें।

xi. यदि फाटक बाधित नहीं है, तो फाटकवाला सुरक्षा जंजीरों और तालों के माध्यम से सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुरक्षित करेगा और उसके बाद रेलगाड़ी को पास करने के लिए हरा हाथ सिगनल प्रदर्शित करेगा।

xii. स्टेशन मास्टर उठान फाटक या लीफ फाटक के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अनुरक्षण कर्मचारियों को जल्द से जल्द उनकी मरम्मत करने की सूचना देगा।

xiii. सामान्य कामकाज तभी शुरू किया जाएगा जब रखरखाव कर्मचारियों द्वारा दोषपूर्ण उठान फाटक या लीफ फाटक को ठीक लेगा और उसके लिए पुन: संयोजन/फिट मेमो जारी करेगा।

(ई) समपार के पास रेलपथ पर रुकावट

i. यदि कोई रेल फ्रेक्चर/या किसी पेड़ के गिरने से रेलपथ पर रुकावट हो, सड़क के वाहन से बाधित या पटरी से उतरने के कारण जो फाटकवाले को दिखाई दे, तो फाटकवाला और स्टेशन मास्टर उपरोक्त मद संख्या (डी) के तहत दी गई प्रक्रिया को अपनाएंगे।

ii. यदि रुकावट समपार फाटक को बाधित कर रही है तो

फाटकवाले को फाटकों को सड़क यातायात के सामने तब तक बंद रखना चाहिए जब तक कि मार्ग बाधा से मुक्त न हो जाए।

6.2.4 गैर-अंतर्पाशित, टेलीफोन प्रदान नहीं किया गया, सामान्य स्थिति "सड़क यातायात के लिए बंद"

(ए) संचालन का तरीका

i. जब भी फाटकवाले को समपार फाटक के पार सड़क वाहन पास करना होता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी दिशा में कोई रेलगाड़ी दिखाई नहीं दे रही है, और न ही आने वाली रेलगाड़ी की कोई आवाज सुनाई दे रही है।

ii. फिर वह इस प्रयोजन के लिए फाटक के दोनों ओर लगे पोस्ट पर दिन में लाल जाम झण्डा और रात में लाल बत्ती लगाएगा।

iii. फिर वह सड़क यातायात को पास करने के लिए फाटक खोलेगा, और उसके तुरंत बाद उसे फिर से बंद कर देगा।

iv. तब वह दिन में लाल जाम झण्डा और रात में लालबत्ती को हटा देगा।

v. यदि फाटकवाला किसी रेलगाड़ी को फाटक के खुले होने पर समपार फाटक के पास आते देखता या सुनता है, तो

वह दिन में पटाखे, फ्यूजी और लाल झंडी और रात में हाथ सिगनल लालबत्ती के साथ आने वाली रेलगाड़ी की ओर दौड़ेगा।

vi. यदि रेलगाड़ी बहुत पास है, तो वह जितनी दूर जा सकता है उतनी दूरी पर पटाखों को लाइन पर रखेगा।

vii. इसके बाद, वह लोको पायलट को चेतावनी देने के लिए फ्यूसी को जलाएगा और लगा देगा और दिन में लाल झंडी रात में लाल हाथ बत्ती को बार-बार लहराते हुए आने वाली रेलगाड़ी को रोक देगा।

viii. यदि पर्याप्त समय है, तो फाटकवाले के कर्तव्यों में निर्धारित 'आपात स्थिति में कार्रवाही' (पैरा 5.12) के अनुसार फाटकवाला अपने फाटक की रक्षा करेगा।

(बी) उठान फाटक या लीफ फाटक की विफलता

i. फाटक खुली स्थिति में होने पर विफलता

(1) फाटकवाला पहले यह सुनिश्चित करेगा कि उठान फाटक या लीफ फाटक रेलपथ को बाधित न करें।

(2) फाटकवाला सुरक्षा जंजीरों और तालों के माध्यम से सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुरक्षित करेगा।

(3) वह इस प्रयोजन के लिए फाटक के दोनों ओर लगे पोस्ट पर दिन में लाल जाम झंडा और रात में लालबत्ती

लगायेगा।

(4) यदि वह फाटक को सुरक्षित करने से पहले रेलगाड़ी को फाटक के पास आते हुए देखता है, तो वह दिन में पटाखे, फ्यूजी और लाल झंडी और रात में लालबत्ती हाथ सिगनल के साथ रेलगाड़ी की ओर दौड़ेगा।

(5) वह जितनी दूर जा सकता है उतनी दूरी पर लाइन पर पटाखे लगाएगा।

(6) इसके बाद, वह लोको पायलट को चेतावनी देने के लिए फ्यूसी को जलाएगा और लगा देगा और दिन में लाल झंडी रात में लाल हाथ बत्ती को बार-बार लहराते हुए आने वाली रेलगाड़ी को रोक देगा।

(7) वह गैंगमेट/पैट्रोलमैन/चाबीवाले या पास होने वाली रेलगाड़ी के लोको पायलट के माध्यम से संबंधित एसएसई/जेई, पी.वे/स्टेशन मास्टर को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचना भेजेगा।

(8) ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

(9) वह निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत प्रेषण छोर के स्टेशन मास्टर को भी सूचना देगा कि वह अपने यहाँ से ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट

को इसी तरह सतर्कता आदेश जारी करे।

(10) स्टेशन मास्टर उठान फाटक या लीफ फाटक के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अनुरक्षण कर्मचारियों को जल्द से जल्द इसे ठीक करने की सूचना देगा।

(11) रखरखाव कर्मचारियों द्वारा उठान फाटक या लीफ फाटक की मरम्मत करने और उसके लिए पुन: संयोजन/फिट मेमो जारी करने के बाद ही सामान्य कामकाज फिर से शुरू किया जाएगा।

ii. फाटक बंद स्थिति में होने पर विफलता

फाटकवाला गैंगमेट/पैट्रोलमैन/चाबीवाले या पास होने वाली रेलगाड़ी के लोको पायलट के माध्यम से संबंधित एसएसई/जेई, पी.वे/ स्टेशन मास्टर को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचना भेजेगा।

(सी) फाटक पर बाधा

i. यदि फाटक किसी सड़क वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है जो रेलपथ को बाधित कर रहा है, या यदि उठान फाटक/ लीफ फाटक या फाटक का कोई अन्य हिस्सा रेलपथ को बाधित करता है, या यदि फाटक पर कोई अन्य बाधा है, तो इस प्रयोजन के लिए फाटक के दोनों सिरों पर लगाए गए पोस्ट पर फाटकवाला तुरंत दिन में लाल रंग का जाम

झंडा और रात में लालबत्ती लगाएगा।

ii. फाटकवाला तब पटाखे, फ्यूजी, और दिन में लाल झंडी और रात में लालबत्ती हाथ सिग्नल के साथ आने वाली रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ेगा और फाटकवाले के कर्तव्यों में निर्धारित 'आपात स्थिति में कार्रवाही' (पैरा 5.12) के अनुसार फाटकवाला अपने फाटक की रक्षा करेगा।

iii. इसके बाद वह दूसरी दिशा में भी फाटक की रक्षा करेगा।

iv. वह सड़क वाहन के विवरण, चालक का नाम, मालिक का नाम नोट करेगा और इन विवरणों को निकटतम स्टेशन मास्टर और एसएसई/जेई, पी.वे को ट्रैक मेंटेनर/पैट्रोलमैन/चाबीवाले या किसी अन्य रेलवे कर्मचारी या पास होने वाली रेलगाड़ी के लोको पायलट के माध्यम प्रसारित करेगा।

v. सूचना प्राप्त हो जाने के बाद, स्टेशन मास्टर किसी भी रेलगाड़ी को तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक कि वह यह सत्यापित नहीं कर लेता कि बाधा हटा दी गई है और फाटक रेलगाड़ियों के गुजरने के लिए सुरक्षित है।

vi. स्टेशन मास्टर निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत प्रेषण छोर पर स्टेशन मास्टर को भी सूचित करेगा कि जब तक रेलपथ सभी बाधाओं से मुक्त नहीं हो

जाता, तब तक वह ब्लॉक सेक्शन में किसी भी रेलगाड़ी को अपने छोर से नहीं भेजे।

vii. सभी अवरोधों से रेलपथ साफ हो जाने के बाद फाटकवाला निजी संख्या के आदान-प्रदान के तहत स्टेशन मास्टर को तदनुसार सूचित करेगा।

viii. यदि फाटक टूटा हुआ है लेकिन कोई बाधा नहीं है, तो स्टेशन मास्टर सभी रेलगाड़ियों के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह सावधानी से आगे बढ़ें और फाटकवाले के हरे हाथ सिगनल पर फाटक पास करें।

ix. यदि फाटक बाधित नहीं है, तो फाटकवाला सड़क यातायात के सामने सुरक्षा जंजीरों और तालों के माध्यम से फाटक को सुरक्षित करेगा और उसके बाद रेलगाड़ी को पास करने के लिए हरा हाथ सिगनल प्रदर्शित करेगा।

x. स्टेशन मास्टर उठान फाटक या लीफ फाटक के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अनुरक्षण कर्मचारियों को जल्द से जल्द उनकी मरम्मत करने की सूचना देगा।

xi. रखरखाव कर्मचारियों द्वारा दोषपूर्ण उठान फाटक या लीफ फाटक की मरम्मत करके और उसके लिए पुन: संयोजन/फिट मेमो जारी करने के बाद ही सामान्य कामकाज फिर से शुरू किया जाएगा।

(डी) समपार के पास रेलपथ पर रुकावट

i. यदि कोई रेल फ्रेक्चर/या किसी पेड़ के गिरने से रेलपथ पर रुकावट हो, सड़क के वाहन से बाधित या पटरी से उतरने के कारण जो फाटकवाले को दिखाई दे, तो फाटकवाला और स्टेशन मास्टर उपरोक्त मद संख्या (सी) (समपार पर रुकावट) के तहत दी गई प्रक्रिया को अपनाएंगे।

ii. यदि रुकावट समपार फाटक को बाधित कर रही है तो फाटकवाले को फाटकों को सड़क यातायात के सामने तब तक बंद रखना चाहिए जब तक कि मार्ग बाधा से मुक्त न हो जाए।

संदर्भ

क्रम संख्या	विवरण
1.	भारतीय रेल (चालित लाइनें) साधारण नियम
2.	भारतीय रेल रेलपथ नियमावली
3.	रेलवे बोर्ड पत्र सं. 2000/संरक्षा (एएंडआर) 19/39 दिनांक 08.05.2002 के द्वारा जारी मानवयुक्त समपारों के लिए कार्य निर्देश
4.	रेलवे बोर्ड क्रमांक 2000/संरक्षा (एएंडआर) 19/39 दिनांक 04.11.2003
5.	रेलवे बोर्ड क्रमांक 2000/संरक्षा (एएंडआर) 19/39 दिनांक 04.09.2008
6.	रेलवे बोर्ड क्रमांक 2000/संरक्षा (एएंडआर) 19/39 दिनांक 18.08.2008
7.	रेलवे बोर्ड क्रमांक 2000/संरक्षा (एएंडआर) 19/39 दिनांक 15.12.2009
8.	रेलवे बोर्ड क्रमांक 2000/संरक्षा (एएंडआर) 19/39 पीटी. दिनांक 24.09.2010

✍ टिप्पणियाँ ✍

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

हमारा उद्देश्य

अनुरक्षण प्रौद्योगिकी और कार्यप्रणाली का उन्नयन करना तथा उत्पादकता और रेलवे की परिसम्पत्ति एवं जनशक्ति के निष्पादन में सुधार करना जिससे अंतर्विषयों में विश्वसनीयता, उपयोगिता और दक्षता प्राप्त की जा सके।

यदि आप इस सन्दर्भ में कोई विचार और सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया हमें इस पते पर लिखें:-

संपर्क सूत्र : संयुक्त निदेशक (सिविल)

पत्राचार का पता : भारतीय रेल उच्च अनुरक्षण प्रौद्योगिकी केंद्र,

महाराजपुर, ग्वालियर (म. प्र.)

पिन कोड 474005

टेलीफोन : 0751-2470869

ई-मेल : dircivilcamtech@gmail.com

अस्वीकरण

इस पैम्फलेट में निहित जानकारी आर.डी.एस.ओ. और रेलवे बोर्ड के निर्देशों में निर्धारित किसी भी मौजूदा प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है। यह दस्तावेज वैधानिक नहीं है और इसमें दिए गए निर्देश केवल मार्गदर्शन के उद्देश्य से हैं।